

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म की जारी हुए
12/11/16	<p> वकील वादी उपस्थित। जो पत्र नं 1 के साथ पेश मूल काप पर P. 3 एक खाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। इसलिए अधीन पत्र प्रभाव शून्य हो गया है। कर कार्यवाही अधीन पत्र शेष की जाती है। मिसल केवल शुभारंभ होकर मग्न से कम हो। बाद दफ्तर बन्द हो। </p> <p style="text-align: center;"> <u>उपखंड अधिकारी</u> <u>मसूदा (अजमेर)</u> </p>	

